

2022/181

फर्द अहकाम

रामनाथ बनाम रामू

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी  
राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 104/2022

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से   | विवरण |
|-------------|---------------------------|--|-------|
|             | 06/12/22                  | <p>प्रार्थना पत्र श्रीधर सुनवाई का पेश होने पर पत्रावली नम्बर पर ली गयी वादी स्वयं उपस्थित जिसकी पहचान वकील श्री रमेश शर्मा ने की वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत वादपत्र विट्टी किये जाने का मय शपथ पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील वादी को सुनने के पश्चात न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रा.पत्र वाद विट्टी स्वीकार किया जाकर वाद को विट्टे करने की अनुमति दी जाती है। वादी का प्रा.पत्र बाबत वाद को विट्टी किये जाने को स्वीकार होने से दावा वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से क्रम होकर वाद तत्काल दाखिल दफ्तर हो</p> |       |

रामनाथ

J. S. S.

सहायक कलक्टर बस्सी जिला बस्नूर